

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर
E-Mail I.D :- eetcdhajipur@gmail.com
पुनः निलामी आमंत्रण सूचना संख्या -06/2026-27

पत्रांक/हाजीपुर

दिनांक

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग अन्तर्गत तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, हाजीपुर को किये गये हस्तांतरित भूमि पर G-Type आवासों से प्राप्त Dismantling material का निलामी किया जाना है।

मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर Dismantling material सामूहिक नीलामी "जैसे है उसी स्वरूप में" के आधार पर दिनांक 12.10.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर के कार्यालय में की जायेगी, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है -

क्र० सं०	अवर प्रमंडल का नाम	आवासो का नाम	नीलामी की न्यूनतम बोली (रुपये में) GST @18% सहित	अग्रधन/सुरक्षित/जमा राशि	नीलामी की तिथि
1	2	3	4	5	8
1	तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, हाजीपुर	G-Type आवासों से प्राप्त Dismantling material	155343=00	31100=00	12-10-2026

नियम एवं शर्तें

1. इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक 08.10.2026 तक कार्यालय अवधि में (रविवार एवं अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) Dismantling material से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. सभी सामग्रियाँ "जहाँ है, जो भी है, जैसा है" के आधार पर नीलामी संपन्न होगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी की न्यूनतम बोली/सुरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत अग्रधन/प्रतिभूति की राशि (कॉलम सं० -5 पर अंकित) दिनांक 10.10.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर के कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। अग्रधन की राशि नगद या डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर (Executive Engineer, Tirhut Canal Division, Hajipur) Payable at Hajipur के नाम से भुगतये हो, जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन एवं सुरक्षित जमा राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
5. आवेदक को आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं अद्यतन जी० एस० टी० संलग्न करना होगा।
6. नीलामी की प्रक्रिया में जल संसाधन विभाग या इससे संलग्न/अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी पदाधिकारी/कर्मि भाग नहीं लेंगे।
7. नीलामी में सफल बोलीदाता को नीलामी की शेष राशि बैंक डिमांड ड्राफ्ट/नगद के रूप में सफल घोषित होने के दिन से अगले 03 (तीन) कार्य दिवसों के अन्दर कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर के कार्यालय में जमा करना होगा। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त अवधि के अन्दर नीलामी की राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन एवं सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जाएगी एवं दूसरे नंबर पर आने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जा सकता है। इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

8. सफल बोलीदाता को अपनी लागत/व्यय और जिम्मेदारी पर **10 (दस) दिनों** के अन्दर समाग्रियों को पूर्ण रूप से उठाव कर लेना होगा अन्यथा विभाग की जवाबदेही नहीं होगी।
9. कार्य दिवस में नीलामी में भाग लेने के पूर्व नीलामी योग्य सामग्रियों का अवलोकन एवं अन्य जानकारी हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर एवं संबंधित कनीय अभियंता, हाजीपुर से संपर्क कर नीलामी समाग्रियों की जानकारी प्राप्त कर लें।
10. बिना कारण बताये किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. असफल बोलीदाता को नीलामी के **07 (सात) दिनों** के बाद आगामी कार्य दिवस में सुरक्षित जमा राशि वापस किया जायेगा।
12. अन्य किसी जानकारी एवं सूचना हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

(६७)

(ई० मोजफर इमाम)
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

पत्रांक**1644**...../हाजीपुर

दिनांक**09/09/26**.....

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना की एक प्रति हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं विभागीय वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर डालने हेतु।

(ई० मोजफर इमाम)
कार्यपालक अभियंता

तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

Sd/-
9/9/26